



उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र

(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार)

नीलामी सूचना (फूड कोर्ट के लिए)

13वां चण्डीगढ़ राष्ट्रीय शिल्प मेला' (1 से 10 दिसंबर, 2023)



उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला (संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार) एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन '13वां चण्डीगढ़ राष्ट्रीय शिल्प मेला' का आयोजन कलाग्राम, मनीमाजरा, चण्डीगढ़ में दिनांक 1 से 10 दिसंबर, 2023 तक करने जा रहा है।

इस मेले में विभिन्न व्यंजनों के फूड स्टॉल (शाकाहारी और मांसाहारी) स्थापित करने के लिए नीलामी की जानी है। नीलामी हेतु उत्तर-पूर्व; पंजाबी; राजस्थानी; हरियाणवी जलेब; कश्मीरी; दिल्ली चाट; बिहारी (लिट्टी-चोखा); महाराष्ट्रीयन; गुजराती; दक्षिण भारतीय (शाकाहारी); हैदराबादी बिरयानी (नॉन-वेज); चायनीज़; चाय-कॉफी/कोल्ड ड्रिंक; पिज्जा-बर्गर मोमोज़; आइसक्रीम, स्वीट कॉर्न, पॉप कॉर्न; या कोई अन्य प्रसिद्ध भारतीय/स्थानीय व्यंजन आदि (शाकाहारी और मांसाहारी) के लिये लगभग 15 (पंद्रह) स्टॉल उपलब्ध हैं। प्रत्येक स्टाल की नीलामी पृथक-पृथक की जायेगी तथा धरोहर राशि भी प्रत्येक स्टाल के लिये पृथक-पृथक जमा करवानी होगी।

1. कोई भी व्यक्ति अथवा फर्म बोली लगाने से पूर्व धरोहर राशि जमा करवा कर नीलामी में भाग ले सकता है।
2. एक फूड स्टाल के लिये धरोहर राशि रु.25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक जो 'निदेशक, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र' के नाम से देय हो जमा करवानी होगी। यह राशि बोली लगाने से पूर्व मौके पर नगद भी जमा करवाई जा सकती है। यह धरोहर राशि सफल बोली दाता की देय राशि में समायोजित कर ली जायेगी। फूड स्टाल की नीलामी दिनांक 28 अक्टूबर (शनिवार) व 29 अक्टूबर (रविवार) 2023 को प्रातः 11:00 बजे से बारीबारी से प्रारंभ की जायेगी जो सभी स्टाल्स की नीलामी तक कार्यालय समय में जारी रहेगी। न्यूनतम बोली की राशि नीलामी समिति द्वारा तय की जायेगी।
3. नीलामी कलाग्राम, मनीमाजरा चण्डीगढ़ में की जायेगी।
4. मौके पर सफल बोलीदाता को अंतरिम रूप से (सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि होने तक) सफल माना जायेगा तथा उसे सम्पूर्ण देय राशि की 25 प्रतिशत राशि 24 घण्टे में जमा करानी होगी अन्यथा बोली निरस्त मानकर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और केंद्र उस स्टाल से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम होगा।
5. शेष समस्त राशि बोली स्वीकार/ पुष्टि होने की तिथि से तीन दिवस में जमा करवानी होगी, इसमें असफल रहने पर बोली निरस्त मानकर समस्त जमा राशि जब्त कर ली जायेगी और केंद्र उस स्टाल से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम होगा।
6. अधोहस्ताक्षरकर्त्ता बिना किसी कारण बताए किसी भी बोली या सभी बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. बिक्री पर लागू होने वाले करों का भुगतान पार्टी/व्यक्ति द्वारा किया जाना है।
8. अन्य विवरण के लिए आप दूरभाष नं: 0175-2211429, 2202918 पर संपर्क कर सकते हैं।

नोट:- 1. कृपया ध्यान रखें कि खाद्य वस्तुएं गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरनी चाहिए।
2. किसी भी प्रकार के संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई होगा तो उसकी जानकारी केवल हमारी वेबसाइट www.culturenorthindia.com पर ही दी जाएगी।

ह0/-
निदेशक